Enquiry into mysterious disappearance of Netaji

1145. SHRI JOYANTA ROY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether division bench of the Calcutta High Court in its judgement on the 13th April, 1998, directed the Gov ernment to institute a vigorous enquiry into the mysterious disappearance of Netaji Subhash Chandra Bose since 18th August, 1945; and

(b) if so, what steps Government have taken in this regard?

THE MINISTER OF HOME AF-FAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration of the Government of India.

Defence .Officers in the warrant of prece dence

1146. SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Defence Forces Officers have been continuously down-graded from time to time in the Warrant of Precedence of Government;

(b) if so, whether it does not affect their esteem, sense of pride and morale; and

(c) whether Government will take measures to restore their previous status to some extent considering their role and contribution towards defence of the country?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) No, Sir. There is no significant change in the relative positions in the Warrant of Precedence since Independence so far as Defence Forces Officers are concerned.

(b) and (c) Do not arise.

वोहरा समिति रिपोर्ट

1147. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में वोहरा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं,

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं,

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट का अध्ययन किया हैं और इसके सुझावों पर गहन विचार किया हैं,

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :

(क) और (ख) वोहरा समिति की रिपोर्ट सरकार को 5.10.1993 को प्रस्तुत की गई । समिति उपलब्ध सूचना का विश्लेण करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्षो पर पहुंची :-

(i) हमारी विभिन्न संबंधित आसूचना, अन्वेलषण और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा हासिल व्यापक अनुभव के आधार पर, यह स्पष्ट हैं कि आपराधिक सिंडिकेटों और माफिया संगठनों ने देश के विभिन्न भागों में अपनी जड़े मजबूत कर ली हैं,

(ii) विभिन्न आपराधिक सिंडिकेटो/माफिया संग-उनों ने काफी अधिक धन तथा बाहुबल अर्जित कर लिया हैं और सरकारी पदाधिकारियों, राजनैतिक नेताओं और अन्य लोगों के साथ संबंध कायम कर लिए हैं जिससे वे बिना दंडित हुए अपनी गतिविधियां चला सकते हैं,

(iii) आसूचना एजेंसियों और राजस्व विभाग के अधीन विभिन्न एजेंसियों को अपने सामान्य कामकाज के दौरान आपराधिक सिंडिकेटों/माफिया संगठनों के संबंधों के बारे में सूचना मिलती रहती हैं, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हैं जिसके अंतर्गत उनसे ऐसी सूचना किसी पहचानशुदा नोडल एजेंसी को देने की आशा की जाये । इस प्रकार की सूचना का आदान-प्रदान इस समय कभी कभार ही होता हैं और ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं कि इस प्रकार की सूचना का प्रवर्तनात्मक इस्तेमाल किया गया हो,

(iv) यदि किसी एजेंसी को आपराधिक सिंडिकेंटों के संबंधों के बारे में कुछ सूचना मिलती